प्रेस नोट दिनांक 16.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 16.03.2026
थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस की कार्यवाही: अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों, मोहम्मद महरोज उर्फ मोजे, रुद सिंह के कब्जे से 02 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का0 मो0 आरिफ, का0 नागेन्द्र कुमार, का0 विलास यादव, का0 कणाद मुनि द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत भगवा चुंगी रेलवे क्रासिंग के पास से 02 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों, 01. मोहम्मद महरोज उर्फ मोजे पुत्र अयूब निवासी उदापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब उम्र 24 वर्ष, 02. रुद सिंह पुत्र विकास सिंह निवासी दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस की बरामदगी के संबंध मे◌े थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 170/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल बरामद की गई, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. मोहम्मद महरोज उर्फ मोजे पुत्र अयूब निवासी उदापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब उम्र 24 वर्ष।
02. रुद सिंह पुत्र विकास सिंह निवासी दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-
02 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का0 मो0 आरिफ, का0 नागेन्द्र कुमार, का0 विलास यादव, का0 कणाद मुनि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.03.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गम्भीरपुर फायरिंग प्रकरण में पुलिस की कार्यवाही, 02 अभियुक्त गिरफ्तार-
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस की कार्यवाही : ग्राम गम्भीरपुर फायरिंग प्रकरण में 02 अभियुक्त, अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू, राज सिंह गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

दिनांक 14.03.2026 को रात्रि 08.30 बजे थाना रानीगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गम्भीरपुर स्थित मस्जिद के पास दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों के कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिलों से आए थे, जिनके मध्य कहासुनी के उपरांत एक-दूसरे पर असलहों से फायरिंग की गई। घटना के दौरान अजमत अली उर्फ शोएब अली व रंजीत उर्फ मेजर पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर को गोली लगने से चोटें आईं, जिन्हें उनके साथियों द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना रानीगंज में दोनों पक्षों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 191(2), 193(3), 190, 109(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट बनाम दोनो पक्षो के 10 नामजद एवं कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट, स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही विधिवत की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के निरीक्षक सुधीर कुमार मय महराह उ0 नि0 अंकित श्रीवास्तव व का0 विकास बाबू द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा 191(2), 193(3), 190, 109(1) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू पुत्र सुरेश त्रिपाठी निवासी परसरामपुर थाना रानीगंज उम्र 28 वर्ष , 02. राज सिंह पुत्र राजेश प्रताप सिंह नि0 रतनई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि प्रशान्त सिंह व आदित्य शर्मा बुलेट से थे व राज व रंजीत उर्फ मेजर अपाचे पर थे, हनीफ चौराहा (मेढौली) गए तो वहां अजमत अली उर्फ शोएब अली , सरफराज उर्फ रावा , फैजल और उसके साथ कुछ लड़के वहां थे। वहां कुछ पुरानी बात को लेकर कहा सुनी हुई इसके बाद हम लोग गंभीरपुर की तरफ से रानीगंज जाने लगे तो ये लोग पीछे से आकर गंभीरपुर तिराहे पास मोड़ पर ही रोक लिए और हम लोगो से गहमागहमी करन लगे। तो रंजीत उर्फ मेजर मे गुस्से मे आकर जाने से मारने की नियत से विपक्षियो पर फायर किए तभी सरफराज उर्फ रावा औऱ अजमत अली भी असलहे से हम लोगो के उपर फायर किए जिससे रंजीत उर्फ मेजर को बाये हाथ मे गोली लग गई और अजमत को भी गोली लगी। इससे हम लोग औऱ वो लोग भी वहाँ से भाग गए प्रशांत सिंह था आदित्य शर्मा पिस्टल लेकर कही भागे है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू पुत्र सुरेश त्रिपाठी निवासी परसरामपुर थाना रानीगंज उम्र 28 वर्ष।

02. राज सिंह पुत्र राजेश प्रताप सिंह नि0 रतनई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक सुधीर कुमार मय महराह उ0 नि0 अंकित श्रीवास्तव व का0 विकास बाबू थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.03.2026

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा, 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार; 46 एटीएम कार्ड, ₹24,000 नगद, लैपटॉप, मोबाइल व 02 मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही : एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा, 01 अभियुक्त सुरेन्द्र सरोज गिरफ्तार; 46 एटीएम कार्ड, ₹24,000 नगद, लैपटॉप, मोबाइल व 02 मोटरसाइकिल बरामद-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत NSG होटल के आगे पुलिया के पास से अभियुक्त गिरफ्तार
एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से पैसे निकालने वाला अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, पूछताछ में धोखाधड़ी की घटना कबूली-
अभियुक्त पर जनपद लखनऊ, जनपद प्रतापगढ़ में धोखाधडी जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-
बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम, विशवनाथगंज में एटीएम कार्ड बदलकर खाते से अवैध निकासी के संबंध में थाना देल्हूपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था-

प्रतापगढ़।
दिनांक 11.03.2026 को वादिनी निवासी ग्राम पनियारी थाना मानधाता जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम, विशवनाथगंज में एटीएम का पिन सेट कराने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखे से एटीएम कार्ड बदल लेने की घटना की सूचना दी गई। बाद में वादिनी को जानकारी हुई कि उसके खाते से ₹34,880 की अवैध निकासी कर ली गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 34/2026 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 संदीप तिवारी व उ0नि0 वीरेंद्र कुमार मय हमराह का0 विनय पटेल, का0 दिलीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 34/2026 धारा 318(4) बीएनएस से संबंधित 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सुरेन्द्र सरोज पुत्र शिवलाल सरोज निवासी ग्राम उगईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को धोखाधड़ी के संबंधित 46 अदद एटीएम कार्ड, कुल 24000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लैपटॉप 01 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद मोटरसाइकिल के साथ थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत NSG होटल के आगे पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के कब्जे से धोखाधड़ी से संबंधित 46 अदद एटीएम कार्ड, ₹24,000/- नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लैपटॉप, 01 अदद मोबाइल फोन तथा 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि बरामद यह सभी ATM कार्ड वह कई जगह से धोखे से प्राप्त कर अपने पास रखा है तथा इसका इस्तेमाल करके वह धोखे से लोगो के ATM बदल कर उनके खाते से पैसे निकाल लेते है। दिनांक 11/03/2026 को मै विश्वनाथगंज बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से भी एक महिला का HDFC बैंक का ATM बदला था तथा उससे पैसे निकाले थे। जो इसी में पड़ा हुआ है। बरामद 24000 रुपए नगद बारे में बताया कि मैने महिला के ATM से कुल 25000 रुपए निकाले थे जिसमें से 1000 रुपए खर्च हो गए थे और ये बचे हुए रुपए है तथा और खरीददारी कर लिया था।

मोटरसाइकिल (संख्या यूपी 72 AA 0477) पर एक बैग टंगा बारे में बता रहा है कि यह बैग उसी लड़के का है जो अभी भागा है जिसका नाम आर्यन पुत्र इंद्रपाल नि0 हरनाहार धारूपुर जलेशरगंज थाना लालगंज प्रतापगढ़ है हम लोगों ने मिलकर ही दिनांक 11/03/2026 को बदले गए ATM से पैसे निकाल कर खर्च किए थे। हमलोग मिल कर ATM बदलने का काम करते है तथा उसमें से पैसा निकाल कर उससे अपना शौक पूरा करते है तथा एक लैपटॉप(एप्पल का लोगों बना) के बारे में बताया कि यह लैपटॉप आर्यन का ही है वही अपने पास रखता है।

घटना के वक्त इस्तेमाल मोटरसाइकिल के बारे में बताया कि वह मोटरसाइकिल खराब हो गई थी जिसको मै छुपा दिया हूं जो मैं आपको बरामद करवा सकता हूं। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में शामिल मोटरसाइकिल को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-
सुरेन्द्र सरोज पुत्र शिवलाल सरोज निवासी ग्राम उगईपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 470/25, धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ।
02. मु0अ0सं0 34/26, धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
धोखाधड़ी के संबंधित 46 अदद एटीएम कार्ड, कुल 24000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लैपटॉप 01 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद मोटरसाइकिलें।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 संदीप तिवारी व उ0नि0 वीरेंद्र कुमार मय हमराह का0 विनय पटेल, का0 दिलीप कुमार थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।